भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1123
16 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय: फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य

1123. श्री जावेद अली खान:
श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बार-बार वादे करने के बावजूद स्वामीनाथन आयोग द्वारा संस्तुत सी2 प्लस 50 प्रतिशत सूत्र के अनुसार सभी कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम मूल्य (एमएसपी) प्रदान नहीं कर रही है;
(ख) क्या किसानों को अपने अलाभकारी पेशे को छोड़ने और उसके बाद बड़ी कंपनियों द्वारा उनकी भूमि और देश की कृषि के अधिग्रहण को सुगम बनाने के लिए मजबूर किया जाता है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(घ) यदि नहीं, तो सरकार सी2 प्लस 50 प्रतिशत सूत्र के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कब तक उपलब्ध कराएगी?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (घ) प्रो. एम. एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ) की सिफारिशों में से एक यह थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को भारित औसत उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। इस संबंध में, सरकार ने अपने केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर बनाए रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की थी। तदनुसार, वर्ष 2018-19 से सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत के मुनाफे के साथ निर्धारित किया।

'कृषि' राज्य का विषय होने के नाते, भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों तथा बजटीय सहायता और विभिन्न केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को पूरा करती है। सभी योजनाएं किसानों को लाभान्वित करने और उनकी आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए लक्षित हैं। इस दिशा में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट आवंटन 2015-16 में 25,460.51 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022-23 में 1,38,550.93 रुपये (5.4 गुना वृद्धि) हो गया है।

सरकार लगातार उत्पादन लागत को कम करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करना; प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत सिंचाई तक बेहतर पहुंच; सभी गैर-निवारणीय प्राकृतिक जोखिमों के विरूद्ध किसानों के लिए सस्ती फसल बीमा योजना के लिए प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई); एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के माध्यम से बुनियादी ढांचे का निर्माण, 10,000 एफपीओ का गठन और समर्थन; विपणन योग्य अधिशेष का प्रभावी संचालन और प्रबंधन के लिए विपणन अवसंरचना को विकसित करने हेतु कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (आईएसएएम); छोटे और सीमांत किसानों तक कृषि मशीनीकरण की पहुंच बढ़ाने के लिए कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम); और कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकियों को अपनाना जिसमें भारतीय कृषि में आमूलचूल परिवर्तन लाने की क्षमता है।

*****